



नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम 2019-20

द्वितीय चरण में आनलाईन काउंसलिंग में पंजीयन हेतु न्यूनतम अंक सीमा (cut off marks)

Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.)

क्र.	श्रेणी	पी.व्ही. एण्ड एफ .टी. 2019 में प्राप्त प्राप्तांक
1	अनारक्षित श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / दिव्यांग अभ्यर्थी UR (FF/PH)	33 या अधिक
2	अनु. जाति श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / दिव्यांग / सैनिक अभ्यर्थी SC (FF/PH/ S)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
3	अनु. जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / दिव्यांग अभ्यर्थी ST (FF/PH)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
4	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / दिव्यांग अभ्यर्थी OBC (FF/PH)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
5	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR (F)	42 या अधिक
6	अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	60 या अधिक
7	अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी UR (EWS)	60 या अधिक
8	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC(F)	54 या अधिक
9	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	60 या अधिक
10	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी OBC (K)	60 या अधिक
11	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	48 या अधिक
12	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	48 या अधिक
13	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	43 या अधिक
14	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	43 या अधिक

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, S = सैनिक, PH = दिव्यांग , **EWS** = सामान्य वर्ग के अर्थिक रूप से कमजोर, X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

- प्रवेश नियम, शर्तें, समय सारणी एवं काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.ndvsu.org तथा www.crisponlineservices.com पर उपलब्ध है वे यथावत रहेगी जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाईन पंजीयन करायें।
- अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण में पंजीयन करते समय बेबसाईट में प्रथम चरण के प्रवेशित छात्र – छात्राओं का अपग्रेडेशन होने के पश्चात् रिक्त सीटों का अवलोकन करें।
- प्रवेशित छात्र – छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में अपना पंजीयन करवा लिया है उन्हें द्वितीय चरण में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता संकाय /

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति